न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 138/16

अनवान :

राजस्थान सरकार बनाम शकुन्तला

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति : वकील श्री विनोद कारेला एवं

श्री सुनील बैनीवाल: **प्रार्थीया**

पेरोकार राज नायब तहसीलदार भादरा : **अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 16.7.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादभूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है जिसमें चन्दूराम सहखातेदार काश्तकार के 178 हिस्सा एवं सहखातेदार मोहनलाल के नाम से 30 हिस्सा, सहखातेदार काश्तकार राजु 83 हिस्सा एवं शिशपाल 45 हिस्सा व कमला 160 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार उक्त वादभूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है, जिसमें वादी किसी स्पेशिफिक भाग को सिवायचक घोषित करवाने का कतई अधिकारी नहीं है। क्योंकि मुश्तर्का खातेदारी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक ईंच पर हक व अधिकार होता है। ऐसे में सहखातेदार काश्तकारान को दावा में पक्षकार प्रतिवादीं बनाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था। मुश्तर्का खातेदारी में प्रतिवादिया के खिलाफ वादी को कोई वाद कारण हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में वाद वादी वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त वाद पत्र में सीपीसी के प्रावधान आवश्यक रूप से लागू होते है प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में भी उज्र किया था कि वाद पत्र दो प्रतियों में नहीं है तथा ना ही वाद पत्र को सत्यापित किया गया है, जिसके अभाव में दावा चलने के काबिल नहीं होता है तथा वाद वादी इस आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली पेश हुई। राज0 पेरोकार व वकील प्रतिवादी उपस्थित। राज0पेरोकार ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाब पेश नहीं किया, सीधे बहस का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र व बहस में दावा में वाद हेतुक प्राप्त न होना तथा दावा दो प्रतियों व शपथ पत्र के साथ न होने के आधार पर दावा खारिज करने का निवेदन किया है। राज पेरोकार ने दावा में वाद हेतुक (वादभूमि में बिना संपरिवर्तन ईंट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य करना) होना अंकित किया गया है। वादपत्र को धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम के

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
भादरा जिला—हनुमानगढ़

अन्तर्गत तृतीय अनुसूची अनुसार प्रार्थना पत्र के रूप में पेश करना बताया है। बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से न्यायालय हाजा के समक्ष यह निष्कर्ष आया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिवादी द्वारा वादभूमि में बिना भू–रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा संचालित कर अकृषि कार्य करने का उल्लेख है व रिपोर्ट पटवारी, शपथ पत्र वादी संलग्न है जो कि पर्याप्त वाद हेतुक प्रकट करता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में धारा 177 आवेदन पत्र के रूप में सूचीबद्ध है। प्रतिवादी जमाबन्दी ग्राम घेऊ के खाता सं0 197/182 में सहखातेदार दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जिसके लिए उसके विरूद्ध वादी द्वारा वाद संस्थित किया है जो कि विधि के दायरे में है।

अत : उपर्युक्त विवेचना व निष्कर्ष के आधार पर वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के दोनों बिन्दु साबित नहीं है। माननीय वरिष्ठ राजस्व न्यायालयों व माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के सम्बन्ध में यह मत प्रतिपादित किया है कि मात्र तकनीकी खामी या बिन्दु पर किसी वाद को खारिज किया जाना न्याय संगत नहीं होता है, वादी/प्रतिवादी को अपना वाद साबित/नासाबित करने का पूरा अवसर देना चाहिए तथा वाद का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन व निष्कर्ष के आधार पर वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

लिखित बहस

वाद संख्या 138/16

अनुवान सरकार बनाम शकुन्तला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा

अनुवानी वाद में वादी की ओर से लिखित बहस निम्न प्रकार से निवेदन है --

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मांग कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है।
2. धारा 177 काश्तकारी अधि0 के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधि0 की शर्ते भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है।
3. भूमि खातेदार द्वारा वाद भूमि में कृषि जोत से भिन्न कार्य कर जोत का स्वरूप नष्ट कर दिया है। प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि को ईट भट्टे के उपयोग में लिया जा रहा है। तथा मौके पर चिमनी का निर्माण किया हुआ है
4. मुख्य भूमिधारी द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद दायर किया है जिसकी तादादि में मौके पर आज भी ईट भट्ट मौजुद है। कृषि भूमि में ईट भट्ट का निर्माण होने से कृषि उपज नष्ट हो गई है तथा भूमि की किस्त बदल दी गई है।
5. कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम बनाये गये है। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरूद्ध ईट भट्टे का निर्माण किया गया है जो गैर कानूनी है।

अंतः लिखित बहस प्रस्तुत कर न्यायालय से अर्ज है कि वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने का सादिर आदेश फरमावें।

31/8/18

तहसीलदार (राजस्व)
राज पैरोकार

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 138/2013

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. शंकुन्तला पत्नी विजय कुमार कौम महाजन साकिन भादरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज : वादी
वकील श्री विनोद कुमार कालेरा : **प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांक : 12.9.18**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घेऊ के खसरा सं. 438/1 रकबा 10.926 हैक्टर में शंकुन्तला पत्नी विजय कुमार जाति महाजन के नाम 1.012 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि को बिना कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवायें ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है। रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है।

खसरा सं. 438/1 की कुल 1.012 हैक्टर खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषक कार्यो के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लघंन किया है।

कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निमार्ण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नही। प्रतिवादी द्वारा खसरा नं. 438/1 की भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है।

विवादित कृषि भूमि को खातेदारों द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नही आता है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही कर उक्त भूमि सिवाय चक भूमि घोषित की जावे ताकि कोई अन्य खातेदार भी इस प्रकार की कृत्य न कर सके व कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने पर रोक लग सके।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला–हनुमानगढ़

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाद तामील उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि "वाउदभूमि मुश्तर्का खातेदारी है जिससे सहखातेदार काश्तकार के नाम भी 288 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। चन्दूराम काश्तकार के 178 हिस्सा एवं सहखातेदार मोहनलाल के नाम से 30 हिस्सा, सहखातेदार काश्तकार राजु 83 हिस्सा एवं शिशपाल 45 व कमला 160 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार उक्त वादभूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है, जिसमें वादी किसी स्पेशिफिक भाग को सिवाय चक घोषित करवाने का कतई अधिकारी नही है।"

वादी ने अपने दावा में किसी भी सहखातेदार काश्तकार को पक्षकार प्रतिवादी नह बनाया है। आवश्यक पक्षकारों के अभाव में भी दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने अवना दावा प्रोपर प्राफार्मा में पेश नही किया है तथा वादी को वाद कारण बिनाय मुखास्मत भी हासिल नही है। दावा वादी इस आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि रोही ग्राम घेऊ के खसरा नं. 438/1 रकबा 10.926 हैक्टर मे से पतिवादी के नाम दर्ज भूमि 1.012 हैक्टर पर प्रतिवादी द्वारा भूमि को गैर कृषि कार्य में लेते हुए ईन्ट भटटा का निर्माण कर रखा है तथा ओद्योगिक रूप से काम में लिए जाने के कारण वादी उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज करवाने का अधिकारी है? —वादी
2. आया कि सभी पक्षकारों को दावा में पक्षकार बनाये जाने के अभाव में दावा चलने योग्य नही है ? —प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में संदीप चौधरी पुत्र आर एस चौधरी जाति जाट निवासी हाल तहसीलदार भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रदर्श 1, ईन्ट भट्टा बाबत पालना रिपोर्ट प्रदर्श 2, नक्शा भूमि चक खसरा 438 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी सम्वत 2071—74 खाता संख्या 197/182 प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये गये। तथा साक्ष्य प्रतिवादी में शंकुन्तला पत्नी विजय कुमार जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा का शपथ पत्र मुख्य परीक्षा पेश किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अपनी लिखत बहस में पैरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम बनाये गये है। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरूद्ध ईट भट्टे का निमार्ण किया है तो गैर कानूनी है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से खातेदार काश्तकार शंकुन्तला पत्नी विजय कुमार के विरूद्ध वाद कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। हस्तगत प्रकरण में 2

तनकीयात कायम की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवास, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार काश्तकार ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

वादी ने प्रतिवादी शंकुन्तला के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी वादभूमि में अकृषि कार्य बिना किसी विधि सम्मत आदेश, संपरिवर्तन आदेश, लाईसेंस, परमिट के कर रहा है जो नियम विरूद्ध है, तथा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार है सक्षम न्यायालय है।

तनकी संख्या 01 – विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद अपने पैरो पर होकर साबित करना होता है। वादी की तरफ से संदीप चौधरी हाल तहसीलदार भादरा ने अपने साक्ष्य में रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार वादभूमि में प्रतिवादी के द्वारा वर्तमान मैं भी बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये 1/50 हिस्सा से अधिक भूमि पर अकृषि कार्य ईन्ट भट्टा के रूप में हो रहा है तथा प्रतिवादी साक्ष्य में शंकुन्तला पत्नी विजय कुमार ने अपनी जिरह में " कथन किया है कि वादभूमि में मौके पर ईन्ट भट्टा लगा हो, पुराने समय से है तो मुझे मालूम नही है, वर्तमान जमीन काश्त या नही मुझे ध्यान है, कुल भूमि 40–42 बीघा है लेकिन मै काश्त नही करती हुँ। जो स्वीकार करती है कि पहले भट्टा लगा हुआ था। इसके अलावा प्रतिवादी के द्वारा वादी के वाद का दस्जावेजी साक्ष्य से कोई खण्डन नही किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरूद्ध ईट भट्टे का निमार्ण किया कर गैर कानूनी कार्य किया जा रहा है। अतः तनकी संख्या 01 को प्रतिवादी साबित करने तथा खण्डन करने में असफल रहा है। इसलिये तनकी संख्या 01 को वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02– सभी पक्षकारों को दावा में पक्षकार बनाये जाने के अभाव में दावा चलने योग्य नही है। चूंकि वादी ने रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निमार्ण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नही। प्रतिवादी द्वारा खसरा नं. 438/1 की भूमि में अपने हक हिस्सा 1.012 हैक्टर भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, तथा जो भी काश्तकार धारा 177 आटीए का उल्लघंन करता है वाद उसी के विरूद्ध लाया जा सकता है शेष सहखातेदारों के विरूद्ध नही क्योंकि उन्होने किसी भी प्रकार से भूमि की किस्म को परिवर्तित नही किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में ऐसा काई बाध्यकारी प्रावधान नही है कि वादभूमि के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य है। हस्तगत वाद वादी व प्रतिवादी के मध्य है तथा वाद व प्रतिवादी के मध्य ही गुणावगुण के आधार पर तय किया जाना है। हस्तगत वाद में मुख्य विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादी द्वारा वादभूमि का बिना विधिक अनुमति अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करना है।

वादी ने सहखातेदारों के विरूद्ध कोई अनुतोष नही मांगा है। वादी शेष सहखातेदारों की अनुपस्थिति में भी प्रतिवादिया के विरूद्ध वाद साबित करने में सफल रहा है जबकि प्रतिवादिया अपनी तनकी साबित करने में असफल रहा है। अतः तनकी संख्या 02 वादी के पक्ष में व प्रतिवादिया के खिलाफ तय की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि खातेदार काश्तकार प्रतिवादी शकुन्तला ने ग्राम घेऊ के खसरा नं. 438/1 रकबा 10.926 हैक्टर में अपने नाम दर्ज 1.012 हैक्टर भूमि में ईंट भट्टा लगाकर अकृषि कार्यो में उपयोग बिना किसी विधि सम्मत आदेश, संपरिवर्तन आदेश,लाईसेंस, परमिट के किया है। अतः अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चुंकि प्रतिवादी ने अपने शपथ पत्र मुख्य परीक्षा मे भी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से वादी के हस्तगत वाद का कोई खण्डन नही किया है। जिससे वादी का वाद प्रथम दृष्टया साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकीवार निर्णय के उपरान्त वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम घेऊ के खसरा सं. 438/1 की कुल 10.926 हैक्टर भूमि में शंकुन्तला पत्नी विजय कुमार कौम महाजन के नाम दर्ज 1.012 हैक्टर भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ